धारा 171 : मुनाफाखोरी निरोधी उपाय

(1) माल या सेवाओं की किसी पूर्ति पर कर की दर में किसी कमी या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे को कीमतों में तत्समान कमी के रूप में प्राप्तिकर्ता को आगे दिया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा किसी प्राधिकरण का गठन कर सकेगी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी विद्यमान प्राधिकारी को इस बात की परीक्षा करने के लिए सशक्त कर सकेगी कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में किसी कमी के परिणामस्वरूप वास्तविक रूप से उसके द्वारा पूर्ति किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की कीमतों में समरूप कमी हुई है।

[1][**परंतु** सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस बारे मे परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के समरूप है ।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, परीक्षा के लिए अनुरोध से इस बारे में कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हुई है परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत है।]

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण विहित की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

[2][**(3क)** जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत् के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परन्तु ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है।

[3][**स्पष्टीकरण 1.]**–इस धारा के प्रयोजन के लिए ''मुनाफाखोरी'' पद से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों की पूर्ति पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरुपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया हैं।]

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा परंतुक एवं स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 27.09.2024 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) द्वारा उपधारा (3क) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

3 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा स्पष्टीकरण पुनःसंख्यांकित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 27.09.2024 से प्रभावशील किया गया।

[4][**स्पष्टीकरण 2.**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''प्राधिकारी'' पद के अंर्तगत ''अपील अधिकरण'' सम्मिलित होगा।]

उपयुक्त नियमः नियम 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 एवं 137

---

4 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024—केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 27.09.2024 से प्रभावशील किया गया।